न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

A 7

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 38/2017

1. चाननराम पुत्र श्री कालूराम जाति बावरी साकिन चक 1 एच बडा तहसील वा जिला श्रीगंगानगर राज0

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. खेता राम पुत्र श्री कालू राम जाति बावरी साकिन 1 एच बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज.
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर (राजस्थान)

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री ओ.पी. बतरा अधिवक्ता – – प्रार्थी
2. श्री राजाराम बिश्नाई अधिवक्ता – – अप्रार्थी

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 08.12.2017

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता उपरोक्त अनवान का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के पास चक 1 एच बडा तहसील श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 8 में किला नम्बर 4, 5, 6, 7 /1, 16, 25/2 में 1.5810 हैक्टयर रकबा प्रार्थी के नाम है तथा मुरब्बा नम्बर 11 में रास्ता मंजूरशुद्धा है जो किला नम्बर 21 में पहुंचता है। जिससे इस मुरब्बा में रास्ता है प्रार्थी के रकबा के लिए मुरब्बा 8 के किला नम्बर 21, 22, 23, 24 में रास्ते से अपनी जमीन पर पहुंचता है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर प्रार्थी ने निवेदन किया है कि चक 1 एच बडा तहसील श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 21, 22, 23, 24 में एक एक बिस्वा रास्ता मंजूर किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी के द्वारा दिनांक 24.11.2017 को प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्यानुसार चक 1 एच बडा के मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 25 में सिंचाई का नाका व खाला है। सिंचाई पानी लगाने में रास्ता में किसी प्रकार की बाधा प्रार्थी व अन्य किसी द्वारा पैदा नहीं की जावे। इसके लिए निवेदन है कि प्रार्थी अपने किला नम्बर 25 में प्रवेश के लिए खाला पर पुलिया का निर्माण अपने खर्चा पर करवाये तो अप्रार्थी रास्ता देने के लिए सहमत है। मु.नं.8 के किला नम्बर 21 से 24 में पश्चिम की लाइन पर अप्रार्थी ने सीसम के दस वृक्ष लागये हुए है इस वृक्षों को काटने की स्वीकृति आदेश द्वारा दी जावे या इन पेडों की कीमत करीब दो लाख रूपया प्रार्थी से अप्रार्थी को दिलाई जावे।

अप्रार्थी अपनी कृषि भूमि किला नम्बर 21 से 24 में से रास्ता देने के लिए सहमत है। अप्रार्थी को प्रार्थी से भूमि के बदले भूमि के रूप में मुआवजा दिलाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

नम्बर मुकदमा 38/2017
चाननराम बनाम खेताराम

विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के तथ्यों एवं परिस्थितियों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

AZ
2

—:: आदेश ::—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रर्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत चक 1 एच बडा तहसील श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 21, 22, 23, 24 में एक एक बिस्वा रास्ता मंजूर किया जाता है। प्रार्थी इसके बदले अपनी खातेदारी भूमि में से एक—एक कुल 4 बिस्वा भूमि को मुआवजा के रूप में अप्रार्थी को देगा। गैरमुमकिन रास्ता सार्वजजिक उपयोग हेतु रहेगा।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करे एंवम रास्ते के मुआवजा स्वरूप प्रार्थी की भूमि में से एक बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी के खाते में अंकन करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक **08.12.2017** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर